

आवंटनादेश

सं०-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सा०सु० योजना-01/2016 स.क.-

बिहार सरकार

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफतुआर, भा०प्र०से०
निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, बिहार ।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अन्तर्गत कुल
रु० 8,00,00,000/- (आठ करोड़ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं०-314 दिनांक-27.02.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में कुल रु० 8,00,00,000/- (आठ करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है। यह आवंटन, राज्यादेश सं०-1079 दिनांक-01.07.2017 के आलोक में निर्गत आवंटनादेश सं०-20, दिनांक-14.07.2016 द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त है।

योजना का नाम	पूर्व में आवंटित राशि आवंटनादेश सं०- 20/14.07.2016	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	50,00,000/-	8,00,00,000/-	8,50,00,000/-

(आठ करोड़ रुपये) मात्र

2. भारित राशि की निकासी मांग सं०-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0106-निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान, विषय शीर्ष-31-06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड-P-2235021010106 एवं स्कीम कोड-WEL-5478 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय होंगे। आवंटित राशि की निकासी "सक्षम" (State Society for Ultra Poor and Social Welfare), बिहार, पटना द्वारा प्राप्त Pre Receipt Voucher के आधार पर की जायगी तथा राशि की निकासी कर सक्षम के खाता में हस्तांतरित की जायगी। सक्षम द्वारा जिलों को राशि उपलब्ध करायी जायगी।

कृ०पृ०उ०.....2

4. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।
5. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम से प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायगा।
6. बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है।
7. योजना के व्यय में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक:-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सा०सु० योजना-01/2016 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक:-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सा०सु० योजना-01/2016 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक:-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सा०सु० योजना-01/2016 स.क.- 69

पटना, दिनांक:- 3/3/2017

प्रतिलिपि:-वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/17
निदेशक